रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1083] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2015/ज्येष्ठ 1, 1937
No. 1083] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2015 /JYAISTHA 1, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2015

का.आ.1371(अ).—जबकि, भारत गणराज्य तथा डेनमार्क साम्राज्य के बीच आय एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए अभिसमय तथा अभिसमय के स्पष्टीकरण संबंधी उपबंधों पर प्रातोकोल, जिन पर 8 मार्च, 1989 को कोपेनहेगेन में हस्ताक्षर किए गए थे, को संशोधित करने वाला एक प्रातोकोल (जिसे इसके बाद कथित प्रातोकोल कहा गया है) जो इस अधिसूचना के साथ संलग्नक में वर्णित है, भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क साम्राज्य की सरकार के बीच प्रवृत्त हुआ था तथा इस पर अक्तूबर, 2013 की 10 तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त प्रातोकोल के प्रवृत्त होने की तारीख 01 फरवरी, 2015 है, जो कि उक्त प्रातोकोल के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 के अनुसार, इस प्रातोकोल को लागू करने के लिए यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं की पूर्ति संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की प्राप्ति की तिथि के बाद आने वाले माह के प्रथम दिन की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न अनुबंध में दिए अनुसार भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क साम्राज्य की सरकार के बीच उक्त प्रोतोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में फरवरी, 2015 के प्रथम दिन से प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 45/2015/फा .सं. 503/02/1998-एफटीडी-I]

अखिलेश रंजन, संयुक्त सचिव

प्रोतोकोल

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए तथा अभिसमय के स्पष्टीकरण संबंधी उपबंधों पर प्रोतोकोल भारत गणराज्य तथा डेनमार्क किंगडम के बीच अभिसमय को संशोधित करने के लिए प्रोतोकोल द्वारा 8 मार्च, 1989 को कोपेनहेगन में हस्ताक्षर किये गये थे ।

भारत गणराज्य की सरकार

और

डेनमार्क किंगडम की सरकार;

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा डेनमार्क किंगडम की सरकार के बीच करार तथा करार के स्पष्टीकरण पर उपबंधों संबंधी प्रोतोकोल, जिन दोनों पर कोपेनहेंगन में 8 मार्च, 1989 को हस्ताक्षर किये गये थे और जिन्हें 13 जून, 1989 को लागू किया गया था (जिनको इसके बाद क्रमश: 'करार' तथा 'करार के स्पष्टीकरण पर उपबंधों संबंधी प्रोतोकोल' के रूप में उल्लेख किया गया है) को संशोधित करने के लिए प्रोतोकोल (इसे इसके बाद 'संशोधनकारी प्रोतोकोल' कहा जायेगा);

को निष्पन्न करने के इच्छुक निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं जो भारत तथा डेनमार्क के बीच प्रभावी रहेंगे और फेरोइ आइलेंड की इसकी अखण्डता में लागू करने में अभिसमय का बिस्तार करने में प्रोतोकोल के अनुसरण में जिसे भारत तथा फेरोइ आइलेंड के बीच भी 8 मार्च, 1989 को कोपेनहेगन में हस्ताक्षर किया गया था :-

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा कर प्राधिकारियों/सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्त्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानत: संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय, प्रशासनिक निकाय, सीमाशुल्क, कानून प्रवर्तन एवं जांच प्राधिकरण शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के स्पष्टीकरण पर उपबंधों संबंधी अभिसमय के प्रोतोकोल के पैराग्राफ-2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ-3 शामिल किया जायेगा:

"3 अनुच्छेद 26 के संदर्भ में यह समझा जाता है कि जैसा कि अनुच्छेद 26 पर ओ ई सी डी व्याख्या के पैराग्राफ 9.1 में बताया गया है, अनुच्छेद 26 के नये शब्दों (2010 व्याख्या के अनुसार) में विदेशी कर जांच शामिल है।"

अनुच्छेद – 3

1. संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जैसा कि यह इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए संबंधित है। यह प्रोतोकोल इन अधिसूचनाओं की परवर्ती अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के आने वाले माह की प्रथम तिथि से लागू होगा।
2. इस प्रोतोकोल के उपबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक अभिसमय लागू रहेगा।

कोपेरहेगन में 10 अक्तूबर, 2013 को हिन्दी, डेनिश और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। हिन्दी, डेनिश पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(नीरज श्रीवास्तव)
राजदूत

डेनमार्क किंगडम की
सरकार की ओर से

(होल्गर के. नीलसन)
टैक्स मंत्री